उडीसा राज्य (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) बोर्ड

बनाम

मेसर्स ओरिएंट पेपर मिलस व अन्य

मार्च 10,2003

[बृजेश कुमार और डॉ ए. आर. लक्ष्मणन, जे. जे.]

पर्यावरणीय विधियां

वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; धारा 19,21,22 और 37:

कुछ क्षेत्रों को वायु प्रदूषण नियंत्रण घोषित करने वाली राजपत्र अधिसूचना अधिनियम की वैधता के प्रावधान के तहत उचित नियम नहीं बनाए गए-: वैधता- निर्धारित विधिक प्रावधानों के तहत राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ क्षेत्रों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में अपने राजपत्र अधिसूचना में घोषित किया। कोई अन्य तरीका निर्धारित नहीं है और न ही मौजूद है- केवल नियमों के अभाव में राज्य को किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की अपनी वैधानिक शक्ति से वंचित नहीं करता इसलिए अधिसूचना वैध है।

शब्द और वाक्यांशः

इस संदर्भ में मतलब वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 (1) शब्द "एन"-का अर्थ-संदर्भ में और तरीके से रंग लेता है जिसका उपयोग किया जाता है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जो प्रत्यर्थी है कि जो पेपर मिल थी वह वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में स्थापित थी। अपीलार्थी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह पाया गया कि जो प्रत्यर्थी पेपर मिल है वह मानक सहिष्णुता सीमा से अधिक वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन कर रही थी अपीलार्थी ने एक परिवाद एस. डी. जे. एम. कोर्ट में प्रत्यर्थी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 37 (1) वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत दर्ज कराई। एस डी जम एम न्यायालय ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध धारा 21 और 22 के प्रावधानों की अनुपालना न करने पर धारा 21और 22 के तहत आरोप विरचित किए। न्यायालय के इस आदेश के प्रत्यर्थी ने एक रिवीजन याचिका सेशन न्यायालय में की।

उस सेशन न्यायालय में की जिस क्षेत्र में वह पेपर मिल स्थापित थी। प्रत्यर्थी ने यह कहा कि वह क्षेत्र एयर पॉलुसेन कंट्रोल क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं किया गया। अपील में निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखा गया। इसीलिए वर्तमान अपील की गई है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

1.1. राज्य सरकार अपने राजपत्र अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने में सशक्त है। हालाँकि, यह परामर्श हो सकता है कि वायु (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम की धारा 54 (2) (के) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से करे।

1.2. हालांकि इस अधिनियम की धारा 19 राज्य सरकार ने यह शक्ति निहित करती है कि वह अपने राजपत्र में किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है लेकिन उकसे लिए राजय सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिए कि किस क्षेत्र को वायु नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाए व किसको नहीं। धारा 19 में कहा गया है कि ऐसा तरीका जो निर्धारित किया जाए और न कि निर्धारित तरीके से का उपयोग की गई अभिव्यक्ति प्रावधान के काम में कुछ लीवर या खेल छोड़ती है। के रूप में शब्द का अर्थ उस संदर्भ में रंग लेता है जिसके साथ इसका उपयोग किया जाता है और उपसर्ग या प्रत्यय आदि के रूप में इसके उपयोग का तरीका इस बारे में कोई कठोरता नहीं है। इसके बारे में और इसका अर्थ किसी विशेष समय या आकस्मिक के दौरान अस्तित्व में होने की स्थिति हो सकता है, और इसी तरह आगे भी। विचाराधीन प्रावधान के पढ़ने से

यह स्पष्ट होता है कि घोषणा के तरीके का पालन 'जैसा भी निर्धारित किया जाए' अर्थात 'यदि कोई हो' निर्धारित किया जाना है। इस प्रकार, यदि नियमों के तहत तरीका निर्धारित नहीं किया गया है, तो किसी का पालन करने की कोई बाध्यता या आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि जो भी प्रावधान स्वयं प्रदान करता है। तत्काल मामले में धारा 19 जो अपने आप में भी पूर्ण है, भले ही इस भाग को "इस तरह से छोड़ते हुए" प्रावधान को पढ़ने के लिए किसी भी तरह से निर्धारित किया गया हो। केवल नियमों के अभाव में, राज्य को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने वाले किसी भी क्षेत्र को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करने की अपनी शक्तियों से वंचित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि विधि निर्धारित करते हुए नियम बनाए गए हैं, तो निस्संदेह घोषणा इस प्रकार के अनुसार होनी चाहिए। केवल इस कारण से कि नियम नहीं बनाए गए हैं इससे किसी राज्य सरकार में निहित शक्ति का अस्तित्व समाप्त नहीं होता।

1.3. एक बार जब नियमों के तहत तरीका निर्धारित किया जाता है तो निस्संदेह क्षेत्र की घोषणा केवल निर्धारित तरीके के अनुसार होनी चाहिए लेकिन नियमों के अभाव में अधिनियम निष्क्रिय नहीं होगा। नियम न बनाए जाने से राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति कम नहीं होती

है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित। प्रावधान का हिस्सा 'ऐसी तरीके से जो निर्धारित किया जाए' इस तरह के तरीके के बाद ही लागू होगा। अधिनियम की धारा 54 (2) (के) के तहत नियम बनाकर निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं को ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के विपरीत।

टी. कैजी बनाम जोर्मनिक सीम और अन्य, इसके बाद ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 276 आया।

सुरिंदर सिंह बनाम केंद्र सरकार और अन्य। , [1986] 4 एससीसी 667, पर भरोसा किया।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र सिंह, आकाशवाणी (1963) एससी 1618 और भारत सरकार के कपड़ा आयुक्त और अन्य बनाम श्री जगदीश प्रोसेस प्रा. लिमिटेड और एन. आर., [1977] 2 एससीसी 578, विशिष्ट।

2. अधिनियम का संपूर्ण कार्यकरण और कार्यकरण जिसके लिए अभिप्रेत है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके को निर्धारित करने वाले नियमों के अभाव के कारण ही इसे रोका नहीं जा सकता है और इसे हानिकारक नहीं माना जा सकता है एक वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करना जो अन्यथा एक आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा अधिसूचित करने के लिए प्रदान किया जाता है। [756- ई-एफ}

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं 331/2003

उच्च न्यायालय, उड़ीसा के सी. आर. एल. में 1997 का एम. सी. सं. 5135/29.3.2001 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

उत्तरदाताओं के लिए पी. एन. गुप्ता और सुश्री हैप्पी।

न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों द्वारा दिया गया था।

बृजेश कुमार, जे. लीव मंजूर।

यह उड़ीसा राज्य (रोकथाम और नियंत्रण) द्वारा पसंद की गई एक अपील है। प्रदूषण बोर्ड (संक्षेप में, "बोर्ड"), आपराधिक संशोधन में पारित उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए एडल्ट सत्र न्यायाधीश राउरकेला,वायु (रोकथाम और नियंत्रण) की धारा 37 (1) के तहत प्रतिवादी के खिलाफ बनाए गए आरोपों को रद्द करते हुए प्रदूषण अधिनियम, 1981 (संक्षेप में "अधिनियम")।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रतिवादी ओरिएंट पेपर मिल्स ब्रजराज राजपत्र अधिसूचना संख्या के अनुसार, कास्टिक सोडा और क्लोरीन आदि एक ऐसे क्षेत्र में स्थित हैं जो वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1292 दिनांक 20.7.84, संख्या 1021 दिनांकित 5.8.86 और संख्या 462 दिनांकित 17.3.88। सहमति दे दी गई। बोर्ड द्वारा प्रत्यर्थी को 7.3.88 पर, जो 31.3.89 तक वैध था, और इसे 31.3.91 तक नवीनीकृत किया गया था। यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 विशेष रूप से बॉयलर

संख्या 9 और 10 में एस. पी. एम. (निलंबित कण पदार्थ) के संबंध में निर्धारित सहिष्णुता सीमा से अधिक वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन कर रहा था। अपमानजनक उत्सर्जन के संबंध में विश्लेषण रिपोर्ट को प्रतिवादी को सूचित किया गया था और उसके संबंध में उद्योग का भी निरीक्षण किया गया था। उत्सर्जन के नमूने फिर से एकत्र किए गए और बोर्ड ने पाया कि एस. पी. एम. की अधिक सांद्रता अभी भी इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानक से अधिक थी। दूसरे विश्लेषण की रिपोर्ट भी उद्योग को भेज दी गई थी। बोर्ड के अनुसार प्रतिवादी सहमति की शर्त का पालन करने में विफल रहा जिससे उसने वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 (1) के तहत दंडनीय अपराध किया। इसलिए बोर्ड द्वारा उत्तरदाताओं के खिलाफ एस. डी. जे. एम. राउरकेला की अदालत में शिकायत दर्ज की गई थी।

एस. डी. जे. एम. ने 7.10.95 पर उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप तय किए अधिनियम की धारा 37 (1) अधिनियम की धारा 21 और 22 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए। प्रत्यर्थी, व्यथित महसूस करते हुए, आरोप तय करने के आदेश को दरकिनार करने के लिए सत्र न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक संशोधन दायर किया, इस आधार पर कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि जिस क्षेत्र में उद्योग-प्रत्यर्थी संख्या 1 स्थित है, वह कानून के अनुसार घोषित क्षेत्र है। वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में अधिनियम की धारा 19। प्रत्यर्थी की यह याचिका

कि किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में घोषित करने के तरीके को निर्धारित करने वाले नियमों के अभाव में, राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को अवैध रूप से अधिसूचित किया है, इस आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट का पक्ष नहीं लेती है कि धारा 19 में उपयोग किया गया शब्द हैः

हो सकता है और नहीं भी हो सकता है इसलिए राज्य के लिए ओरिशा राज्य (पूर्व, और अनुबंध) निर्धारित करना अनिवार्य नहीं था। ऑफ पोल.) बोर्ड वी.) किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने का तरीका। विद्वान एडिएल। सत्र न्यायाधीश ने हालांकि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दियाऔर संशोधन की अनुमति दी, यह विचार रखते हुए कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र को केवल नियमों के तहत निर्धारित तरीके से वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकती है। नियमों के अभाव में ऐसा नहीं किया जा सका। इसलिए प्रतिवादी के खिलाफ धारा 21 के उल्लंघन के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं था और 22 अधिनियम से आदेश अतिरिक्त द्वारा पारित किया गया। सत्र न्यायाधीश को उच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी के साथ बरकरार रखा है कि आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं थी।

हम इस स्तर पर कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार कर सकते हैं। अनुभाग 21 अधिनियम में प्रावधान है कि उक्त धारा के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना वायु प्रदूषण

नियंत्रण क्षेत्र में कोई औद्योगिक संयंत्र स्थापित या संचालित नहीं करेगा। एक उद्योग जो वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में क्षेत्र की घोषणा से पहले से काम कर रहा है, वह इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अवधि के भीतर सहमति के लिए बोर्ड को आवेदन करेगा। धारा 22 निम्नानुसार उपबंध करती हैः

> "धारा 22-उद्योग आदि चलाने वाले व्यक्ति को उत्सर्जन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। राज्य द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक वायु प्रदूषक बोर्ड-किसी भी वायु प्रदूषण में कोई भी व्यक्ति किसी भी औद्योगिक संयंत्र का संचालन नहीं करता है। नियंत्रण क्षेत्र निर्वहन करेगा या निर्वहन का कारण बनेगा या अनुमति देगा द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी वायु प्रदूषक का उत्सर्जन धारा 17 की उप-धारा 1 के खंड (छ) के तहत राज्य बोर्ड।"

धारा 19 राज्य सरकार को किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देती है। धारा 19 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है।

> "19. वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों को घोषित करने की शक्ति-
> (1) राज्य सरकार, राज्य बोर्ड के साथ परामर्श के बाद, द्वार राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र या क्षेत्र को वायु प्रदूषण

नियंत्रण के रूप में निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र या क्षेत्र। (2) राज्य सरकार, राज्य के साथ परामर्श के बाद कर सकती है। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड।

(क) किसी भी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के बाद चाहे विस्तार के माध्यम से या कमी।

(ख) एक नए वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र की घोषणा करें जिसमें विलय किया जा सकता है।

एक या अधिक मौजूदा वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र या कोई भी भाग या

(3).....

(4).....

(5).....}"

इस प्रकार हम पाते हैं कि अनिवार्य रूप से राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है। राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करें। हालाँकि, यह बोर्ड के साथ परामर्श के बाद और निर्धारित तरीके से हो सकता है। प्रत्यर्थी के अनुसार राज्य सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र को घोषित करने के लिए कोई तरीका निर्धारित नहीं

किया है। हालाँकि, अपीलार्थी की दलील है कि राज्य सरकार द्वारा धारा 19 के तहत निहित अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करते हुए अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं।अधिनियम और समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, जो अधिनियम की धारा 19 का पालन करता है।

हम इस मोड़ पर अधिनियम की धारा 54 का भी उल्लेख कर सकते हैं जो नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति से संबंधित है। यह नीचे लिखा हैः

> "54- नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति (1) उप-धारा 3 के प्रावधानों के द्वारा राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाएँ इस अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले मामलों के संबंध में धारा 53.2 विशेष रूप से, और इसकी व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पूर्वगामी शक्ति ऐसे नियम सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं निम्नलिखित मामले, अर्थात्;
>
> (अ).....
>
> (के) जिस तरीके से किसी भी क्षेत्र या क्षेत्र को वायु घोषित किया जा सकता है धारा की उप-धारा (1) के तहत प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र या क्षेत्र "विहित" शब्द को धारा 2 के खंड

(एन) के तहत परिभाषित किया गया।" अधिनियम इस प्रकार हैः

"'एन'-'विहित' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत ओरीसा राज्य (पूर्व) द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित और पोल का नियंत्रण।) बोर्ड 1.

इसलिए जिस तरीके से वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाना है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 54 (2) (के) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। क्षेत्र को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जानी है। तथ्यात्मक स्थिति जो बिना किसी संदेह के स्वीकार करती है, वह यह है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 54 (2) (के) के तहत नियम नहीं बनाए गए हैं।

जिस तरह से वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जाना है। अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) के तहत आवश्यकता की पूर्ति के संबंध में न्यायालय का ध्यान केवल अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचनाओं की ओर आकर्षित किया है। अपील के साथ ऐसी अधिसूचनाओं की प्रतियां

भी संलग्न की गई हैं। पहली अधिसूचना दिनांकित 6.6.84 है, इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" द उडीसा गजट"

असाधारण।

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

सं. 1292 कटक, शुक्रवार, 20 जुलाई 1984/असदा 29,1906 विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

5 जून 1984

सं. 556-एन. वी. III-3/84-एसटीई वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 धारा 19 (1) की शक्तियों के प्रयोग के तहत राज्यपाल निम्नलिखित क्षेत्रों और निम्नलिखित उद्योगों के परिसरों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में इस अधिनियम के उद्देश्यों के तहत घोषित कर सकता है।

1. वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों के रूप में घोषित क्षेत्रः

2. वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में घोषित उद्योगों के परिसर

3. ओरिएंट पेपर मिल्स, ब्रजराजनगर, संबलपुर जिला

35. एफ. ए. सी. ओ. आर., रान्डिया, भद्रक क्रोम संयंत्र जिला बालासोर

राज्यपाल के आदेश से

सरकार का अतिरिक्त सचिव

उपरोक्त अधिसूचना का अंतरण, दूसरी अधिसूचना दिनांक 8.7.86 एन प्रकाशित किया गया है, जो इस प्रकार हैः

" द उडीसा गजट"

असाधारण।

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

सं. 1021 कटक, मंगलवार, 5 अगस्त, 1986/श्रवण 14,1908 विज्ञान

प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

8 जुलाई, 1986

सं. 10985-एन्न। III-5/86-एसटीई-वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 5564-एनवी के अधिक्रमण में। III-3/84-एस. टी. ई., दिनांक 6 जून, 1984 को राज्यपाल ने उक्त अधिनियम

के प्रयोजनों के लिए उड़ीसा राज्य के भीतर निम्नलिखित सभी उद्योगों के क्षेत्रों और परिसरों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है।

1. वायु नियंत्रण अधिनिमय के तहत राज्य सरकार ने बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों के पुराने और नए परिसर और निम्नलिखित उद्योगों की श्रेणियों में बांटा है-

पेपर और पल्प उद्योग जिसके अंतर्गत पेपर उत्पाद भी शामिल है।

राज्यपाल के आदेश से

के. के. पटनायक

सरकार का उपसचिव

पिछली अधिसूचनाओं के स्थान पर जारी की गई अन्य अधिसूचनाएँ 27/ 29 फरवरी, 1988 इस प्रकार हैः

" द उडीसा गजट "

असाधारण।

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

नं. 462 कटक, गुरुवार, 17 मार्च, 1988/फाल्गुनी 27,1909 विज्ञान

प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

27/29 फरवरी, 1988

संख्या 3044-ई. एन. वी.-1-3/88-एस. टी. ई. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 19 की धारा (1) और उड़ीसा सरकार के विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अधिक्रमण में, जो पर्यावरण सं. 10985/एसटीई, दिनांक 8 जुलाई, 1986 है के तहत सरकार राज्य बोर्ड के साथ परामर्श करने के बाद, उडीसा राज्य के भीतर नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों को वायु प्रदूषण घोषित करती है। अधिनियम, अर्थात्ः

अनुसूची

1. उडीसा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1892 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित कटक विकास क्षेत्र के तहत आने वाले मास्टर प्लान क्षेत्र।

2. उड़ीसा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भुवनेश्वर विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मास्टर प्लान क्षेत्र।

3. उड़ीसा नगर नियोजन और सुधार न्यास अधिनियम, 1956 की धारा 7 के तहत ग्रेटर संबलपुर गठित सुधार न्यास के अंतर्गत आने वाले मास्टर प्लान क्षेत्र।

4. उड़ीसा नगर नियोजन और सुधार न्यास अधिनियम, 1956 की धारा 7 के तहत गठित राउरकेला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले मास्टर प्लान क्षेत्र।

5. उड़ीसा नगर योजना और सुधार न्यास अधिनियम, 1956 की धारा 7 के तहत आने वाले मास्टर प्लान क्षेत्र तालचेर और क्षेत्रीय सुधार न्यास अंगुल मेरामुदली के तहत आने वाले मास्टर प्लान क्षेत्र।

6. राज्य की सभी औद्योगिक संपदाओं के क्षेत्रः

7. सभी बड़े और मध्यम पैमाने के उद्योगों का परिसर, जो मद संख्या 1 से 6 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

राज्यपाल के आदेश से

आर. सी. सामल

सरकार का आयुक्त-सह-सचिव

अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि जो राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचना जारी की जाती थी, वे सभी सुसंगत समय में प्रत्यर्थी द्वारा अपनाई जाती थी।

सवाल यह है कि जब तक किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने के लिए नियम में कोई तरीका निर्धारित नहीं है, क्या वहां धारा 19 (1) के तहत जारी की गई अधिसूचना वैध हो सकती है या नहीं।

जहाँ तक कि वैधानिक प्रावधान का संबंध है, धारा 19 राज्य सरकार में यह शब्द निहित करता है कि वह किसी भी क्षेत्र को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है लेकिन यह कहने के लिए कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से निर्धारित तरीके के नियमों के निर्माण पर निर्भर है कि किस क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, यह सही प्रतीत नहीं होता।

अधिनियम की धारा 19 को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा -

शब्द "इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है" हम किस हिस्से को कोष्ठक में रखते हैं इस प्रकार हैः

"19. वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों को घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श के पश्चात् आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अधिनियम के उद्देशयों के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र या क्षेत्रों के रूप में घोषित कर सकती है।

धारा 19 में कहा गया है, "ऐसी रीति जो विहित की जाए और न कि निर्धारित तरीके से " और "जो कि तरीका निर्धारित किया जाए।" यह शब्द अधिनियम के प्रावधानों में कुछ लीवर या खेल छोड़ती है। हमें यहां 'ऐज'

शब्द के उपयोग पर जोर देना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है। यदि यह निर्धारित नहीं होता तो हमारे पास कोई भी तरीका उपलब्ध नहीं होता कि इसका कैसे अनुसरण किया जाना है। 'ऐज' शब्द का अर्थ है 'संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश, के दसवें संस्करण 2002' में इंगित किया गया है जिसका अर्थ इस प्रकार हैः

"इसका उपयोग किसी चीज़ की सीमा या डिग्री को संदर्भित करने की तुलना में किया जाता है। इसका उपयोग किसी समय किसी घटना के घटित होने की तुलना के लिए किया जाता है।

"शब्द और वाक्यांश स्थायी संस्करण 4" 1969 संस्करण में, सामान्य रूप से दूसरों के बीच, पृष्ठ 514 पर इसका अर्थ निम्नानुसार इंगित किया गया हैः मूर बनाम कोट्स, डी. सी. मुन ऐप., 40 A.2d68,70 के वाद में 'ऐज' का अर्थ"

इंगित करने के लिए नियोजित किया जाता है। इसे आगे एक आकस्मिकता आयात करने के लिए इंगित किया गया है और पृष्ठ 520 पर, यह इसे इस प्रकार दर्शाया गया हैः

> "जब, एक आकस्मिकता का आयात करते हुए, कुछ बच्चों के लिए एक उपाय" के रूप में" वे 21 वर्ष की आयु में पहुँचते हैं जिसका अर्थ है "जब" वे इतनी आयु में पहुँचते हैं

"इसके अलावा हम पृष्ठ 549 पर पाते हैं कि वाक्यांश "जैसा निर्धारित किया जा सकता है"

इसका अर्थ इस प्रकार बताया गया हैः

"संविधान संशोधन में "जैसा निर्धारित किया जा सकता है" वाक्यांश कुछ शहरों को अपने चार्टर को अपनाने या संशोधित करने के लिए अधिकृत करना, बशर्ते कि चार्टर अपनी कार्रवाई को सीमित कर सकता है। वी. डेविडसन, टेक्स सिविल अपील 115 एस डब्लू 2 डी 659,691।

पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित "लॉ लेक्सिकन" द्वितीय संस्करण पुनर्मुद्रण 2000 के पृष्ठ 147, इसे निम्नानुसार दर्शाया गया है या डिग्री के महत्व के नाम के तहत; उस हद तक; अब तक (ब्लैक लॉ डिक्शनरी) "इस न्यायालय द्वारा तय किए गए एक मामले में, जिसे इस निर्णय में बाद में भेजा जाना " जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है "का अर्थ यह माना गया है कि" यदि कोई हो"। यह स्पष्ट है कि इस तरह की अभिव्यक्ति कानून के तहत प्रावधान में व्यवहार्यता के लिए कुछ खेल के लिए गुंजाइश छोड़ देता है "के रूप में" शब्द का अर्थ इसके उपयोग में लिए गए उपसर्ग और प्रत्यय से रंग लेता है, इसमें कोई कठोरता नहीं अपनाई जा सकती। यह शब्द अपना अर्थ उस समय उपयोग में लिए गए विशेष समय या आकस्मिक समय पर निर्भर करता है। एक विशेष समय या आकस्मिक के दौरान अस्तित्व में होना, और इसी तरह आगे भी इसका मतलब है कि

कुछ इस तरह से होना है, अगर ऐसा तरीका अस्तित्व में है या मौजूद है, अगर ऐसा नहीं है, तो यह उस तरह से नहीं हो सकता है। इसलिए, विचाराधीन प्रावधान के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि घोषणा के तरीके का 'जैसा भी निर्धारित किया जाए' अर्थात 'यदि कोई हो' का पालन किया जाना है।

इस प्रकार, यदि नियमों के तहत तरीका निर्धारित नहीं किया गया है, तो किसी भी प्रावधान का पालन करने की बाध्यता या आवश्यकता सिवाय इसके कि जो भी प्रावधान स्वयं प्रदान न करता हो। तत्काल मामले में धारा 19 जो अपने आप में भी पूर्ण है। इस भाग को "ऐसी रीति से जो विहित की जाए" छोड़ते हुए प्रावधान को पढ़ने के लिए कुछ समय पहले बताए गए किसी भी तरीके को निर्धारित किए बिना भी। केवल नियमों के अभाव में, राज्य को वायु प्रदूषण नियंत्रण घोषित करने वाले किसी भी क्षेत्र को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करने की अपनी शक्तियों से वंचित नहीं किया जाएगा हालाँकि, यदि तरीके को निर्धारित करते हुए नियम बनाए गए हैं, तो निस्संदेह घोषणा ऐसे नियमों के अनुसार होनी चाहिए।

जैसा कि ऊपर बताए गया है या प्रस्वावित किया गया है टी. कैजी बनाम. जोर्मनिक सीम और अन्य का वाद यहां प्रासंगिक होगा।

संविधान की अनुसूची 4 द्वारा शासित जिला परिषद के मुख्य प्रमुख सियेम को कार्यालय से हटाने से संबंधित मामला था। उच्च न्यायालय का

विचार था कि जिला परिषद राज्यपाल की सहमति से ही कानून बनाकर ऐसा कार्य कर सकती है लेकिन जहां केवल सीयेम की नियुक्ति और उसको हटाने का प्रश्न है, वहां पर अनुसूची का पैरा 3 (1) (जी) जिला परिषद प्रमुख को सशक्त करती है कि वह नियुक्ति और उत्तराधिकार के संबंध में विधि बना सकती है। उच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया कि किसी भी विधि को बनाने के बिना जिला काउंसेल को यह शक्ति नहीं है कि वह न तो सयेम की नियुक्ति कर सकती है न ही उसे हटा सकती है। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के लिए गए विचार का अवलोकन किया और यह कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा जो पैराग्राफ 3 (1) (जी) है, उसकी भाषा न्यायोचित है। पैराग्राफ 3 (1) (जी) उस विदाई सूची और विषयों की गणना करती है, जिसमें जिला परिषद किसी भी विधि को बनाने के लिए सक्षम है लेकिन इसमें किसी मुख्य कि नियुक्ति और उसको हटाने से संबंधित विधि को बनाने के बारे में कोई शक्ति नहीं दी गई है। इस न्यायालय ने यह पाया कि अनुसूची का पैरा 2 (4) जिला परिषद के प्रशासन से संबंधित शक्तियां जिला परिषद में निहित करती है।

संविधान का उद्देश्य यह नहीं हो सकता था कि सभी स्वायत जिला प्रशासन में तब तक के लिए स्थगित हो जाए जब तक राज्यपाल पैरा 19 (1) (बी) के तहत नियम बनाए या जिला परिषद 3 (1) (जी) के तहत कोई कानून बनाए यह निःसंदेह है कि जब नियम बन गए है तो

प्रशासनिक प्राधिकारी उन नियमों को मानने के लिए बाध्य है, जो नियम इस प्रकार पारित किए गए है।

इस प्रकार यह पूर्ववर्ती अनुच्छेद में निर्दिष्ट निर्णय से स्पष्ट है कि किसी प्राधिकारी में निहित शक्ति का अस्तित्व केवल इस कारण से समाप्त नहीं होगा कि नियम नहीं बनाए गए हैं या शक्ति के प्रयोग का तरीका निर्धारित नहीं किया गया है। जहां तक अधिनियम की धारा 54 का संबंध है, यह केवल उन विषयों की गणना करता है जिनके लिए राज्य सरकार हकदार है।

अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने बी. के. श्रीनिवासन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य [1987] 1 एस. सी. सी. पृष्ठ 658, के निर्णय का अवलंब लिया। यह एक उपयुक्त तरीके से अधीनस्थ विधान के प्रकाशन के सवाल पर है जिसे निर्धारित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है और प्रकाशन में किसी भी अनियमितता का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा एक और निर्णय का अवलंब लिया जो कि भारत संघ व अन्य बनाम गणेशदास भोजराम है। इस वाद में सीमा शुल्क लगाने, सूचना/अधिसूचना के प्रकाशन में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से संबंधित प्रश्न था। इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर कई फैसलों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः -

" इसके अलावा न्यू टोबैको कंपनी के मामले में अदालत ने बी. के. श्रीनिवासन के फैसले पर भरोसा किया। इस मामले में (पैरा 15 में) विभिन्न दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि जहां प्रत्यक्ष संविधि प्रकाशन या उद्घोषणा का तरीका निर्धारित करता है, तो वहां उस तरीके का ही अनुसरण किया जाना चाहिए लेकिन जहां प्रत्यक्ष विधि मौन है, लेकिन अधिनस्थ विधायन अपना स्वयं का प्रकाशन की रीति बनाता है तो वहां पर विधायन द्वारा बनाई गई विधि का पालन किया जाना पर्याप्त है, यदि वह न्यायसंगत है तो।"

उपरोक्त टिप्पणियों से, यह स्पष्ट कि बी. के. श्रीनिवासन के निर्णयों को बारबार दोहराया गया है और यह कहा गया कि अधिसूचना केवल तभी प्रभावी होती है जब इसे प्रथागत रूप से प्रकाशित किया जाता है। हम यहां पर मेयर हंस जॉर्ज के दिए गए कारणों से भी सहमत है और यह मानते है कि कस्टम एक्ट की धारा 25 के तहत जारी अधिसूचना तब प्रभाव में आती है, जब उसको अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है, उसके बाद किसी भी प्रकाशन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए, पंकज में दिया गया निर्णय जैन एजेंसियां इस विषय पर कानून की सही व्याख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। न्यू टोबैको कंपनी में दिए गए निर्णय

का गरवारे में पालन किया गया नायलन्स लिमिटेड सही कानून निर्धारित नहीं करता है।

हमें नहीं लगता कि उपरोक्त निर्णय बहुत प्रासंगिक होंगे या अपीलार्थी को बहुत सहायता मिलेगी।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम. जोगेंद्र सिंह ए. आई. आर. (1963) एस. सी. 1618 के निर्णय को संदर्भित किया तथा यह कहा कि जब शब्द "कर सकता है" आए तब इसका अर्थ " करना होगा है" यह माना गया है कि "कर सकता है" शब्द के उपयोग के संदर्भ पर निर्भर करता है। यह मामला सरकारी कर्मचारी के मामले को न्यायाधिकरण को भेजने से संबंधित है। प्रासंगिक प्रावधान को निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः -

4 (1) राज्यपाल व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों का वर्ग या किसी विशेष क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी केवल मामलों के संबंध में न्यायाधिकरण के मामलों को संदर्भित कर सकता है।

(क) भ्रष्टाचार;

(ख) कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करने में विफलता;

(ग) दस साल की स्थिति से अधिक के लोक सेवक में अपरिवर्तनीय सामान्य अक्षमता और

(घ) व्यक्तिगत अनैतिकता।

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्यपाल को यह विवेकाधिकार था कि उप नियम (1) के तहत न्यायाधिकरण के लिए एक व्यक्तिगत अधिकारी का मामला, लेकिन जहां उप नियम (2) का संबंध है, यह राज्यपाल पर एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने मामले को न्यायाधिकरण को भेजने के लिए किए गए अनुरोध को स्वीकार करने का दायित्व अधिरोपित करता है। यह भी देखा गया है कि अभिव्यक्ति "कर सकता है" का उपयोग अक्सर उस प्राधिकरण की स्थिति के सम्मान में किया जाता है जिस पर प्रावधान के तहत एक दायित्व डाला जाता है। इस निर्णय के आधार पर निवेदन यह है कि 'कर सकता है' शब्द के उपयोग का अर्थ 'करना होगा' और किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए धारा 19 के तहत प्रदान की गई विधि अनिवार्य रूप से निर्धारित की जानी चाहिए। फिर भी एक और मामला जिसे प्रतिवादी की ओर से संदर्भित किया गया है, जो कि द टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उडीसा स्टेट व अन्य बनाम श्री जगदीश प्रोसस प्राइवेट लि. [1977] 2 एस. सी. सी. पृष्ठ 578 है। यह निर्णय भी "कर सकता है" शब्द को दिए जाने वाले अर्थ पर है और यह माना गया है कि जहां शब्द कर सकता है' का प्रयोग किया गया है उसको इस प्रकाश में देखना चाहिए कि वहां पर लोकप्राधिकारी पर जो बाध्यता है, वह वहां विवेकाधिकारी नहीं है, बल्कि वहां "कर सकता है" को "करना होगा" के रूप में पढा जाना चाहिए। हम पाते हैं कि उपरोक्त निर्णयों का वर्तमान

मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। हाथ में मामला "प्रकाशन" के तरीके से संबंधित नहीं है, जो प्रावधान में ही बहुत अधिक प्रदान किया गया है और प्रकाशन को उसी तरीके से अधिसूचित किया गया है जैसा कि अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रदान किया गया है।

हम महसूस करते हैं कि अब तक "हो सकता है" शब्द के अर्थ से संबंधित बिंदु अधिनियम की धारा 19 के तहत उपयोग किया गया यह उस विवाद को हल करने के लिए प्रासंगिक नहीं है जिससे यह मामला संबंधित हैं। एक बार नियमों के तहत तरीका निर्धारित हो जाने के बाद निस्संदेह क्षेत्र की घोषणा केवल उसी के अनुसार होनी चाहिए।

जैसा कि प्रावधान के तहत प्रदान किया गया है, अर्थात आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करके। नियम न बनाए जाने से आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति कम नहीं होती है। अधिनियम की धारा 54 (2) (के) के तहत नियम तैयार करके इस तरह से निर्धारित किए जाने के बाद ही प्रावधान का हिस्सा "इस तरह से लागू होगा जैसा कि निर्धारित किया जाए"। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, यह दृष्टिकोण टी. केवी (उपरोक्त) के मामले में ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से समर्थित है जो इस न्यायालय की संविधान पीठ

का निर्णय है। इसके बाद के निर्णय में इसका पालन किया गया है। अदालत ने सुरिंदर सिंह बनाम केंद्र सरकार और अन्य 1986] 4 एस. सी. सी. P.667, में रिपोर्ट दी। केंद्र सरकार ने निपटान के संबंध में नियम नहीं बनाए थे। क्षतिपूर्ति पूल का हिस्सा बनने वाली संपत्ति, जैसा कि संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत विचार किया गया है। एक पक्ष द्वारा यह दावा किया गया था कि अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण के पास नियमों के अभाव में नीलामी बिक्री द्वारा शहरी कृषि संपत्ति का निपटान करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस विवाद को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया थाः जहाँ कोई कानून किसी प्राधिकारी को कुछ करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। नियमों के अधीन कुछ मामलों के संबंध में कार्य या शक्ति का प्रयोग, कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग इस पर निर्भर नहीं करता है कि नियमों का अस्तित्व जब तक कि क़ानून स्पष्ट रूप से उनके लिए प्रावधान न करे। दूसरे शब्दों में नियमों द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्त और बेशर्त शक्तियों का प्रयोग करना पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। अभिव्यक्ति नियमों के अधीन का केवल यह अर्थ है कि नियमों के अनुसार यदि कोई हो यदि कोई नियम बनाए गए है तो आपराधिक कार्य को केवल उन शक्तियों के अधीन बनाए गए नियमों के तहत ही कार्य करना होगा और यदि कोई नियम नहीं बनाए गए है तो शक्तियों का प्रयोग करना अवैध नहीं है और न ही प्राधिकारी को विधि में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने से वंचित करती है।

रिपोर्ट किए गए मामलों में इस न्यायालय के फैसलों का भी संदर्भ दिया गया था।

बी. एन. नागराजन बनाम मैसूर राज्य और आकाशवाणी ए. आई. आर. (1996) एस. सी. पी. 1942 मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम गोपीनाथ 1968) एससी पी। 464 , 1968) यू. पी. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम शहर बोर्ड, मसूरी।एससी पी। 464 , [1985] 2 एस. सी. सी. पी.

ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए, हमारे विचार में यह कहना सही नहीं होगा कि केवल इसलिए कि नियम उस तरीके से निर्धारित नहीं किए गए है, जिस तरीके से उनको निर्धारित किए जाने चाहिए था, केवल इस कारण निष्क्रिय नहीं हो जाएगा। अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था। घोषणा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के माध्यम से की जाती है। कोई अन्य तरीका निर्धारित नहीं है और न ही मौजूद है। प्रासंगिक अधिसूचनाएँ सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के विपरीत जारी की गई थी यह नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यर्थी को अधिसूचना का ज्ञान था। प्रत्यर्थी ने बोर्ड की सहमति लेने के लिए भी आवेदन किया था, जो बोर्ड द्वारा प्रत्यर्थी को दी गई थी लेकिन यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यह उस दृष्टिकोण को लेने का कारण नहीं है जो हमने लिया है, इसका उल्लेख केवल एक अतिरिक्त

तथ्य के रूप में किया गया है और इससे अधिक कुछ नहीं। यह पूरा कार्य व कार्य प्रणाली केवल वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। केवल नियमों के अभाव के कारण इसे रोका और निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है, जो कि अन्यथा एक आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा अधिसूचित करने के लिए प्रदान किया गया था।

इस मामले में पूर्वगामी कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और उस आदेश को रद्द करते है, जो विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण में पारित किया गया और जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की।

मामले में आगे की कार्यवाही ट्रायल कोर्ट में फिर से शुरू की जाएगी। गुण-दोष पर कानून के अनुसार जो इस निर्णय में किए गए अवलोकन, यदि कोई हो, से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **इसरार खोखर** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।